

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 22.09.2021 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 22.09.2021 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री आलोक वशिष्ठ, सदस्य
कार्यवाहक अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
2. श्री भवानी शंकर, सदस्य
वरिष्ठ शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
3. श्री विक्रम सिंह सदस्य
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमती मोनिका अग्रवाल, सदस्य सचिव
उप महानिरीक्षक कारागार
रेंज, जयपुर।
5. श्री रमेश कुमार दहमीवाल, सदस्य
सहायक निदेशक (परिवीक्षा)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

बैठक में 106 बंदियों के प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में समिति द्वारा निम्नभांति निर्णय लिया गया।

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	गृह जिला	विशेष विवरण
1.	हररूप पुत्र टीकम	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	करौली	-

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

2.	दलीप पुत्र बद्री प्रसाद	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	चूरू	-
3.	गजानन्द पुत्र किशनलाल	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	बीकानेर	-
4.	दिनेश उर्फ पहलवान हेतराम पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	भिवानी (हरियाणा)	-
5.	सुभाष उर्फ नेता पुत्र गिरधारी	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	करौली	
6.	रामप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र गोपाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	बारां	
7.	महावीर मीणा पुत्र जानकीलाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	कोटा	
8.	हनुमान सिंह पुत्र सुरज सिंह	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास, दौसा	सवाई माधोपुर	
9.	आकाश उर्फ जगदीश पुत्र भैरू सिंह	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	भीलवाड़ा	
10.	रामभरोसी उर्फ भरोसी पुत्र हरिराम	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	अलवर	
11.	नरेन्द्र कुमार पुत्र बनवारीलाल	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	अलवर	
12.	कृपाल सिंह पुत्र चन्दर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	झालावाड़	
13.	गुड्डी पत्नी रमेश	महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर	जयपुर	
14.	बबीता पत्नी नरेन्द्र शर्मा	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	अलवर	
15.	मनीष कुमार पुत्र नरेन्द्र शर्मा	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	अलवर	
16.	श्रीपाल सिंह पुत्र उमराव सिंह	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	झालावाड़	
17.	रवि कुमार पुत्र राजपाल	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	सिरसा (हरियाणा)	
18.	विनोद कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	हनुमानगढ़	

Handwritten signature/initials

2

19.	अमृत उर्फ दरब उर्फ पप्पू पुत्र पितराम	विशिष्ट कारागृह, श्यालावास, दौसा	केन्द्रीय	करौली		
20.	आशाराम रामधन	पुत्र	केन्द्रीय भरतपुर	कारागृह,	सवाई माधोपुर	
21.	दलीप कुमार रामनाथ	पुत्र	केन्द्रीय अलवर	कारागृह,	गोपालगंज (बिहार)	
22.	सुभाष मीणा सुगनाराम	पुत्र	केन्द्रीय बीकानेर	कारागृह,	झुंझुनूं	
23.	वागाराम खीमाजी	पुत्र	केन्द्रीय जोधपुर	कारागृह,	पाली	
24.	रामदुलारी चन्दन सिंह	पत्नी	केन्द्रीय भरतपुर	कारागृह,	भरतपुर	
25.	मदनदास पूनमदास	पुत्र	केन्द्रीय जोधपुर	कारागृह,	जोधपुर	
26.	विनोद कुमार ईश्वर सिंह	पुत्र	केन्द्रीय बीकानेर	कारागृह,	सिरसा (हरियाणा)	
27.	मंशाराम लाखाराम	पुत्र	केन्द्रीय जोधपुर	कारागृह,	सिरोही	परिजन द्वारा देखभाल, भरण पोषण करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
28.	रामदयाल मोहनलाल	पुत्र	केन्द्रीय	कारागृह, कोटा	बारां	
29.	मौनू उर्फ श्यामसिंह पुत्र शेरसिंह		केन्द्रीय भरतपुर	कारागृह,	भरतपुर	
30.	छंगाराम रतनलाल	पुत्र	केन्द्रीय बीकानेर	कारागृह,	झुंझुनूं	
31.	मनाराम नेतीराम	पुत्र	केन्द्रीय जोधपुर	कारागृह,	पाली	
32.	बुद्धिप्रकाश सैनी पुत्र भौरीलाल उर्फ भवंर लाल		केन्द्रीय जयपुर	कारागृह,	जयपुर	
33.	मुकेश रामजीलाल	पुत्र	केन्द्रीय भरतपुर	कारागृह,	भरतपुर	
34.	कान्ती लाल खातरा	पुत्र	केन्द्रीय उदयपुर	कारागृह,	डूंगरपुर	

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

35.	लक्ष्मण जगन्नाथ	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	बारां	
36.	अमरचन्द मूलचन्द	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	
37.	रामजीलाल भौरीलाल भवंर लाल	पुत्र उर्फ	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	जयपुर	
38.	शंकाराम नोनाराम	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	सिरोही	
39.	मोहनलाल ओखाराम	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	जालोर	
40.	अजीत सिंह रूपसिंह	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	जयपुर	
41.	ओमप्रकाश लिछमणराम	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	हनुमानगढ़	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
42.	मुकेश उर्फ धाकड़ पुत्र मान सिंह उर्फ मानिया		केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	झुंझुनूं	
43.	नेमीचन्द उदाराम	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	बीकानेर	
44.	मुकेश अमरलाल	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	बारां	
45.	गुरदेव सिंह गैन्दू पुत्र सिंह	उर्फ पाल	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	
46.	गणेश नारायण भौरीलाल भंवर लाल	पुत्र उर्फ	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	जयपुर	
47.	दयांशकर देवराज पुत्र लाल	उर्फ गणेश	विशिष्ट कारागृह, दौसा	केन्द्रीय श्यालावास, उदयपुर	

48.	खाजू खां पुत्र अहमद खां	केन्द्रीय जोधपुर	कारागृह,	पाली	
49.	श्रीमती पूनी पत्नी सीगा	महिला बंदी जोधपुर	सुधारगृह,	उदयपुर हाल- पाली	परिजन द्वारा देखभाल, भरण- पोषण करने हेतु शापथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
50.	प्रहलाद पुत्र भौरीलाल उर्फ भवंर लाल	केन्द्रीय जयपुर	कारागृह,	जयपुर	
51.	नवीन पुत्र मान सिंह उर्फ मानियां	केन्द्रीय बीकानेर	कारागृह,	झुंझुनूं	
52.	देवेन्द्र नागर पुत्र गोपाल लाल	केन्द्रीय कारागृह,	कोटा	झालावाड़	
53.	जगजीत सिंह पुत्र पहलवान सिंह	केन्द्रीय श्रीगंगानगर	कारागृह,	श्रीगंगानगर	

2. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 के तहत साधारणतया व नियम 4 (क) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से वरियता में होने पर भी निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का कारण
1.	सुखदेव पुत्र सुच्चा सिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	वर्ष 2019 में जेल उद्योगशाला से अनुपस्थिति पर दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी दी गई एवं दिनांक 18.02.2021 को बंदी के अन्य बंदी दीतेन्द्र के साथ मिलकर मोबाईल छिपाने में मदद करने के कृत्य के कारण।

Handwritten signature and number 2.

2.	सोनपाल पुत्र रामजीलाल	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किये जाने के पश्चात् भी कारागृह से प्राप्त सूचनानुसार गत 02 वर्ष में उद्योगशाला से अधिकतम अनुपस्थित रहने व कार्य नहीं करना।
3.	विष्णु कुमार पुत्र विनोद कुमार	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किये जाने के पश्चात् भी कारागृह से प्राप्त सूचनानुसार गत 02 वर्ष में उद्योगशाला से अधिकतम अनुपस्थित रहने व कार्य नहीं करना।
4.	मोहनलाल उर्फ राजेश पुत्र मदनदास	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किये जाने के पश्चात् भी कारागृह से प्राप्त सूचनानुसार गत 02 वर्ष में उद्योगशाला से अधिकतम अनुपस्थित रहने व कार्य नहीं करना।
5.	रामसिंह पुत्र चमन सिंह	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किये जाने के पश्चात् भी कारागृह से प्राप्त सूचनानुसार गत 02 वर्ष में उद्योगशाला से अधिकतम अनुपस्थित रहने व कार्य नहीं करना।
6.	प्रभुलाल पुत्र गणेश	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किये जाने के पश्चात् भी कारागृह से प्राप्त सूचनानुसार गत 02 वर्ष में उद्योगशाला से अधिकतम अनुपस्थित रहने व कार्य नहीं करना।
7.	रूस्तम पुत्र मीरबाज खां	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	02 अन्य प्रकरणों में वांछित एवं दिनांक 24.08.2020 को जेलदण्ड से दण्डित।

8.	आसाराम उर्फ आसुमल पुत्र श्री थेवरदास उर्फ थाउमल	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376(डी), 376 (2)एफ आई.पी.सी में शेष प्राकृत जीवन काल तक के दण्ड से दण्डित होने एवं अन्य प्रकरणों में वांछित।
9.	सुनील उर्फ समीर उर्फ लालू पुत्र प्रेम कुमार	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	प्रतिबंधित धारा 376(1) आई.पी. सी. में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
10.	नरेन्द्र कुमार पुत्र श्रवण कुमार	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में पृथक् से विचार किया जा चुका है।
11.	टीपू उर्फ टीपू सुल्तान उर्फ आबिद अली पुत्र अकील मोहम्मद	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	02 अन्य प्रकरणों में दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरणों में वांछित।
12.	महावीर पुत्र मोहन शर्मा	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	पोक्सो एक्ट, 2012 में दण्डित होने के कारण।
13.	बनवारी पुत्र गणेश	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	01 अन्य प्रकरण में वांछित।
14.	रणजीत पुत्र चौथमल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (2)(1)आई. पी.सी. सपठित धारा 5/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित होने के कारण।
15.	अशोक जांगू पुत्र माधूराम	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में वांछित।
16.	राजेश कुमार पुत्र हरचन्द	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	धारा 5/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में 14 वर्ष कारावास से दण्डित होने के कारण।
17.	रामस्वरुप पुत्र मनफुल	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा 376(2)एफ (आई) व (एन) आई.पी.सी. में शेष प्राकृत जीवनकाल तक के दण्ड से दण्डित।

18.	महावीर उर्फ बिट्टू पुत्र बाबूराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376(2)(झ), 376(2)(ड) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
19.	जयवीर उर्फ वीर भण्डारी पुत्र गिराज सिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन एवं प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी. सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
20.	प्रहलाद पुत्र राजु मीणा	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	05 अन्य प्रकरणों में वांछित।
21.	विनोद पुत्र मुरलीधर	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	प्रतिबंधित धारा 395 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित तथा पेट्रोल फरारी के प्रकरण में विचाराधीन।
22.	तारासिंह उर्फ तारैया पुत्र डौंगर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 14 अन्य प्रकरणों में वांछित।
23.	गिराज उर्फ गुल्ला पुत्र हरदान	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	प्रतिबंधित धारा 376 (2जी) आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
24.	अजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
25.	जगराम पुत्र भगवानाराम	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	03 अन्य प्रकरणों में वांछित।
26.	विजय कुमार पुत्र पारसनाथ	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (2 एफ एवं आई) आई.पी.सी. एवं धारा 5/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
27.	हीरालाल पुत्र भंवर लाल	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	धारा 5/6 सपठित धारा 29 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
28.	नरेन्द्र सिंह पुत्र गोकुल सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
29.	लालाराम पुत्र भीखाराम	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	दिनांक 20.11.2019 को जेलदण्ड से दण्डित।

3. अग्रेषित प्रकरण :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय वल्लिदयत	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	विशेष विवरण
1.	विजयपाल पुत्र केशव सिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
2.	बलवीर उर्फ राज पुत्र शंकर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
3.	बसंतसिंह उर्फ आदपा पुत्र नत्थीसिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
4.	राजवीर पुत्र रामफल	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	प्रकरण में बंदी के लाचार होने की स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण अधीक्षक, के.का. भरतपुर से क्या लाचारी है ? की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।
5.	कैलाशी पुत्र नत्थी सिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।


6.	भरत कुमार पुत्र लक्ष्मण लाल	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
7.	जगन्नाथ पुत्र सोवरन	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
8.	रब्बुल इस्लाम पुत्र आईसुदीन	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
9.	उपेन्द्र उर्फ सोनु पुत्र हवजी	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
10.	हिम्मत सिंह पुत्र मंगल सिंह	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट एवं बंदी की माह अगस्त, 2020 व सितम्बर, 2020 में बंदी की क्या लाचारी थी ? के संबंध में अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।
11.	प्रभुलाल पुत्र खिमा	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।


12.	जसवंत सोवरन	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
13.	अशोक हनुमान सिंह	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रकरण में बंदी के लाचार होने की स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण अधीक्षक, के.का. बीकानेर से बंदी की क्या लाचारी है ? की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।
14.	धीमाराम भैराराम	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
15.	शिवकुमार शान्तिदेव	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावें।
16.	राम सहनी	भरोसी पुत्र प्रीतम सहनी	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	बंदी तनाव ग्रसित बीमारी से ग्रसित होना बताया गया है अतः अधीक्षक, के.का. जयपुर से बंदी की बीमारी की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।
17.	कुलदीप गुरदीप सिंह मेजर सिंह	उर्फ पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में गत 01 वर्ष में किये गये कार्य की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, कोटा से माह दिसम्बर, 2021 में प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।


18.	लालु लालजी वागजी	उर्फ पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण, माह दिसम्बर, 2021 में बंदी के गत 01 वर्ष के कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।
19.	अकबर खाँ मुकरम पठान	पुत्र खाँ	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में गत 01 वर्ष में किये गये कार्य की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर से माह दिसम्बर, 2021 में प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावे।
20.	बन्नलाल गणेशलाल	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में गत 01 वर्ष में किये गये कार्य की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, कोटा से माह दिसम्बर, 2021 में प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावे।
21.	समीर शाह सुनील शाह	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में गत 01 वर्ष में किये गये कार्य की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर से माह दिसम्बर, 2021 में प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावे।
22.	उतमराय अभिनंदन राय	पुत्र	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में गत 01 वर्ष में किये गये कार्य की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर से माह दिसम्बर, 2021 में प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावे।
23.	विक्रम पुत्र श्रवण कुमार	कुमार	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में गत 01 वर्ष में किये गये कार्य की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर से माह दिसम्बर, 2021 में प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावे।


Ar 2


24.	अनिल शर्मा पुत्र जयप्रकाश शर्मा	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में गत 01 वर्ष में किये गये कार्य की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर से माह दिसम्बर, 2021 में प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावे।
-----	------------------------------------	---------------------------------	--



सदस्य
सहायक
निदेशक
(परिवीक्षा)
सामाजिक
न्याय एवं
अधिकारिता
विभाग,
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
सचिव
उप
महानिरीक्षक
कारागार
रेंज,
जयपुर।


सदस्य
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
वरिष्ठ
शासन
उप
सचिव,
गृह
(ग्रुप-12)
विभाग,
राजस्थान
जयपुर।


सदस्य
कार्यवाहक
अति.
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर।


अध्यक्ष
महानिदेशक
एवं
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।